

परियोजना का नाम :-जनपद नैनीताल के अन्तर्गत खुटानी-भवाली-धानाचूली-ओखलकाण्डा-खन्सयू - पतलोट मोटर मार्ग के किमी० 85 में खन्सयू रा०मा० सं० 64 में 42 मी० स्पान "क्लाश-ए" (स्टील गर्डर) का प्रस्तावित सेतु के निर्माण हेतु।

प्रारुप-30

(वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत समस्त वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्तावों में भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रपन्नों पर सूचना/अभिलेख संलग्न किये जाने हैं।)

FORM-1

(for linear projects)

Government of Uttarakhand Office of the District Collector Nainital

No---

Dated----

TO WHOWSOEVER IT MAY CONCERN

In complinance of the Ministry of Environment and Forests (MOEF), Government of India's letter No 11-9/98-FC(pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Roeognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that 0.020 hectares of forest land proposed to be diverted in favour of Executive Enginner, World Bank Division, P.W.D., Nainital (name of user agency) for Construction of Khutani-Bhawali-Dhanachuli-Okhalkanda-Khansyu-Patlot Motar Road Bailey Bridge in Km. 85 of kansu, State Road No. 64 in purpose for 48 m. span "Class A" Bridge (purpose for diversion of forest land) in Nainital district falls within jurisdiction of Kala Aagar, Gargadi talli village (s) in Dhari tehsils.

It is further certified that:

- (b) the diversion of forest land for facilities managed by the Gvoernment as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Grama Sabhas have given their consent to it;
- (c) the proposal does not involve reognised rights of Primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.

Eucl: As above.

Signature

(Full name and official seal of the District Collector)

विवा समाज कल्याण अधिकाची सैनीताम

जिलाधिकारी



परियोजना का नाम :--जनपद नैनीताल के अन्तर्गत खुटानी-भवाली-धानाचूली-ओखलकाण्डा-खन्सयू -पतलोट मोटर मार्ग के किमी० 85 में खन्सयू रा०मा० सं० 64 में 42 मी० स्पान ''क्लाश-ए'' (स्टील गर्डर) का प्रस्तावित सेतु के निर्माण हेतु।

प्रारुप-30.4

दिनांक 19.03.2018 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम कालाआगर

कमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के	हस्ताक्षर
	नाम	
1	Exte	Edwie
2	014148 200	2448 0
3	हर्मिश्र हर्मा हो होवांद्रा	EXIZIAGEST
A	हरपाल रिमहं	हर्भात रिस्ट
5	A SILL THE JO	निर्धातालह 🗸 🗸
6	गाधन प्राधा	गावन्सिंह भवाडे
7	ग्रेहा हिंह	30181015
		1
8	शिविधिह	19/01/45
9	मान्यात्या <u>भ</u>	र्जारायाय
10	Bady 214 D	कुन्दनारी
11	कामल भवाडी	change (s)
12	१ भूती स्त्रारेत। मेलारी	2 Diary
13	-खानाह्मर होहन सिंह	नार्गासह
14	वीवान सिंह	Glamine 162
15	ETV2) (AE	(teller.
16	अहिपाल १	महिराल
12	Dimon Silli	DY.
10	तीराक्ताम	
		-

ह0/- प्रधान



परियोजना का नाम :—जनपद नैनीताल के अन्तर्गत खुटानी—भवाली—धानाचूली—ओखलकाण्डा—खन्सयू — पतलोट मोटर मार्ग के किमी० 85 में खन्सयू रा०मा० सं० 64 में 42 मी० स्पान "क्लाश—ए" (स्टील गर्डर) का प्रस्तावित सेतु के निर्माण हेतु।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र ग्राम पंचायत का नाम:— गरिश ही अल्ली अने कर्नाली तहसील धारी, जिला नैनीताल

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद नैनीताल के अन्तर्गत खुटानी —भवाली—धानाचूली—ओखलकाण्डा—खन्सयू — पतलोट मोटर मार्ग के किमी० 85 में खन्सयू रा०मा० सं० 64 मे 42 मी० स्पान ''क्लाश—ए'' (स्टील गर्डर) का प्रस्तावित सेतु के निर्माण हेतु (शून्य हे० आरक्षित वन भूमि, 0.020 हे० सिविल सोयम भूमि, शून्य हे० वन पंचायत भूमि) अर्थात कुल 0.020 हे० वन भूमि का विश्व बैंक खण्ड, लोक निर्माण विभाग नैनीताल के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गरा।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत कालाआगर, गरगड़ी तल्ली द्वारा दिनांक... 19-03:2018 को सम्पन्न ग्राम सभा / ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापित्त प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत् आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा / कृषि कार्य है अथवा नहीं। * उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा / कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मित से निर्णय लिया गया / प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम काला आगर, गरगडी तल्ली के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि विश्व बैंक खण्ड, लोक निर्माण विभाग नैनीताल को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

वित्र प्रधायत सदस्य गरगडी वि सण्ड आखलकाडा निनीवाला ह0 /— ग्राम सचिव मुहर सहित

सरपंचार्य) वन पंचायत गरगडी पट्टी गरगडी (नैनीताल)

ह0/-ग्रामग्राम्ब्राम्बर्ग्स सहित अधान *

माम पंचायत क्रिका क्रिक

बन पंचापन चंडाल जाना वागर कि ए व आधारताहा (नेंगी पन)



अप जिलाधिका चुप पणामीम व मधिकारी (नैव नेनीताल वन प्रभाग नेनीताल

बारी (नैवीताल)

परियोजना का नाम :-जनपद नैनीताल के अन्तर्गत खुटानी-भवाली-धानाचूली-ओखलकाण्डा-खन्सयू - पतलोट मोटर मार्ग के किमी० 85 में खन्सयू रा0मा० सं0 64 मे 42 मी0 स्पान ''क्लाश-ए'' (स्टील गर्डर) का प्रस्तावित सेत् के निर्माण

कार्यालय उप जिलाधिकारी, धारी अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण-पत्र उपखण्ड स्तरीय समिति, धारी

उपखण्ड धारी परिक्षेत्र के अन्तर्गत खुटानी-भवाली-धानाचूली-ओखलकाण्डा-खन्सयू - पतलोट मोटर मार्ग के किमी0 85 में खन्सयू रा0मा0 सं0 64 में 42 मी0 स्पान ''क्लाश-ए'' (स्टील गर्डर) का प्रस्तावित सेतु के निर्माण हेतु (शून्य हे0 आरक्षित वन भूमि, 0.020 हे0 सिविल एवं सोयम (वंजर) भूमि, शून्य हे0 वन पंचायत भूमि, अर्थात (कुल 0.020 है0 वन भूमि) का विश्व बैंक खण्ड, लो0नि0वि0, नैनीताल प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनूसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील धारी) की दिनांक ----- को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण:-

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री ----, उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नान्सार है।

--- उपजिलाधिकारी --------- उप प्रभागीय वनाधिकारी-------श्री ब्रिकासी सहायक समाज कल्याण अधिकारी सदस्य/सिवव श्री श्री श्री वास्ट शहरा बीठडीठसीठ क्षेत्र गरगड़ी तल्ली सदस्य

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमित से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि जनपद नैनीताल के अन्तर्गत खुटानी—भवाली—धानाचूली—ओखलकाण्डा—खन्सयू — पतलोट मोटर मार्ग के किमी० 85 में खन्सयू रा०मा० सं० 64 मे 42 मी0 स्पान ''क्लाश—ए'' (स्टील गर्डर) का प्रस्तावित सेतु के निर्माण हेतु 0.020 हे0 सिविल भूमि विश्व बैंक खण्ड, लो०नि०वि०, नैनीताल के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु पत्यावर्तन् की अनुषंसा की गई है।

संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी, र्वाप्त वन्त्रिक्ष क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र करते हुए विवासी (वन् अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बंधी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा / आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा / पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मित से उपखण्ड बेतालघाट परिक्षेत्र के अन्तर्गत खुटानी — भवाली — घानाचूली — ओखलकाण्डा — खन्सयू — पतलोट मोटर मार्ग के किमी0 85 में खन्सयू रा0मा0 सं0 64 में 42 मी0 स्पान "क्लाश—ए" (स्टील गर्डर) का प्रस्तावित सेतु के के निर्माण हेतु 0.020 हे0 वन भूमि विश्व बैंक खण्ड, लो0नि0वि0, नैनीताल को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमित प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमित व्यक्त की गयी।

सहायक समाज ल्याण आधिकार समिति बिकासखण्ड ब्युनिरवणकारी क्षेत्र पंचायत सदस्य गरगडी तहसील- धारी वि० खण्ड आंखलकाडा **निनीताल**े प्रतिलिपि : जिलाधिकारी, नैनीताल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।) बारी (नैनीताल) दक्षिणी गौला रेन्ज बोखलकाण्डा (नेनीताल) उप जिलोधिकारी / अक्ष्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति बहसीलदार बारी तहसील- धारी जनपद- नैनीताल खबपव बैबीवान.



परियोजना का नाम :—जनपद नैनीताल के अन्तर्गत खुटानी—भवाली—धानाचूली—ओखलकाण्डा—खन्सयू — पतलोट मोटर मार्ग के किमी० 85 में खन्सयू रा०मा० सं० 64 में 42 मी० स्पान ''क्लाश—ए'' (स्टील गर्डर) का प्रस्तावित सेतु के निर्माण हेतु।

OFFICE OF THE DEPUTY COMMISSIONER DISTRICT -- Name 1 (U.K.)

Proceeding of the meeting of the district level committee constituted under schedule tribes & other Traditional forest Dwellers (recognition of rights) act (FRA). 2006.

A meeting of the district level committee of Nainital district, constituted under FRA. 2006 was held under the chairmanship of Mr/Mrs/Miss.V:K: Sumon I.A.S deputy commissioner,. Nainital on dated 28:05:16... at time 1.1:120. NM at in which application claiming rights in Ghirauli, Tallipali area measuring 0.020 heet for the construction of Khutani-Bhawali-Dhanachuli-Okhalkanda-Khansyu-Patlot Motar Road Bailey Bridge in Km. 85 of kansu, State Road No. 64 in purpose for 48 m. span "Class A" Bridge forest land under FRA. 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the sub divition level committee of Betalghat subdivision were discussed to consider the same for admission by the district level committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection/claims were found to have been made & hence District level committee recommend the above case for diversion of land for the said purpose.

Place; Nainital
Dated: 20:05-8

जिबा समाज कल्याण अधिकारी कैटीनाम Deputy Commissioner-cum-Chairman
District Level Committe

जिलाधकारा **ग्रेनीताल**



परियोजना का नाम :-जनपद नैनीताल के अन्तर्गत खुटानी-भवाली-धानाचूली-ओखलकाण्डा-खन्सयू - पतलोट मोटर मार्ग के किमी० 85 में खन्सयू रा०मा० सं० 64 मे 42 मी० स्पान "क्लाश-ए" (स्टील गर्डर) का प्रस्तावित सेतु के निर्माण हेतु।

FORM-II

(for projects other than linear projects)

Government of Uttarakhand, Office of the District Collector Nainital

No-Famp

Dated-28-5-16

To WHOWSOEVER IT MAY CONCERN

In complinance of the Ministry of Environment and Forests (MoEF), Government of India's letter No 11-9/98-FC(pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Rocognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes, it is certified that 0.020 hectares of forest land proposed to be diverted in favour of Executive Enginner, World Bank Division, P.W.D., Nainital (name of user agency) for Construction of Khutani-Bhawali-Dhanachuli-Okhalkanda-Khansyu-Patlot Motar Road Bailey Bridge in Km. 85 of kansu, State Road No. 64 in purpose for 48 m. span "Class A" Bridge (purpose for diversion of forest land) in Nainital district falls within jurisdiction of Kala Aagar, Gargadi talli village (s) in Dhari tehsils. It is further certified that:

- the complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 0.020 hectares of forest land proposed for diversion. A copy of records of all consulations and meetings of the Forest Rights committee(s), Gram Sabha(s) sub- Division laevel Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure .6..to .11..annexure.6.
- (b) the proposal for such diversion (with full details of project and its implications, in vernacular/ local language) have been placed before each concered Grama Sabha of forest-dwellers, who are eligible under the FRA;
- the each of concerned Gram Sabha (s), has certified that all formalities/processes under the FRA have been carried out, and that they have given their consent to the proposed diversion and the compensation and ameliorative measures, if any, having understood the purpose and details of proposed diversion. a copy of certificate issued by the garm sabha of Kala Aagar, Gargadi talli villages(s) is enclosed as annexure. 10. to annexure. 2...
- (d) the discussion and decisions on such proposals had taken pace only when there was a quorum of minimum 50% of the members of Gram Sabha present;
- (e) the diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Grama Sabhas have given their consent to it;
- (f) the rights of Primitve Tribal Groups and Pre-Agricultural communites, where applicable have been specifically safeguarded as per section 3 (1)(e) of the FRA

Eucl: As, above.

विचा समाज कल्याण अविकारी वैशीताम Signature (Full name and official seal of the District Collector)

